रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092024-257116
CG-DL-E-12092024-257116

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3572]	**नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 12, 2024/भाद्र 21, 1946**
No. 3572]	**NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 12, 2024/BHADRA 21, 1946**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2024

का.आ. 3905(अ).—यतः, मै. माइंडस्पेस बिजनस पार्कस् प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में मै. के. रहेजा कारपोरेशन प्रा. लि. एवं मै. सिरिन प्रॉपर्टीज़ प्रा. लि.) ने तेलंगाना (भूतपूर्व आंध्र प्रदेश) राज्य में पोचाराम गांव, हयातनगर तालुक, घटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्याओं का.आ.869(अ) दिनांक 1 जून, 2007 और का.आ. 3106(अ) दिनांक 23 अगस्त, 2019 और का.आ.4775(अ) दिनांक 16 नवंबर, 2021 द्वारा उपयुक्त विशेष आर्थिक जोन में क्रमशः 26.895 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित तथा 14.162 हेक्टेयर एवं 7.906 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित किया था;

और यतः, मै. माइंडस्पेस बिजनस पार्कस् प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 4.827 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके पत्र संख्या 1948/आईटी&सी/प्रोम2/2006 दिनांक 2 अगस्त, 2024 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। अनधिसूचना के बाद, ऐसा विमुक्त क्षेत्र राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशा-निर्देशों/मास्टर स्थानों के अनुरूप होगा;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 4.827 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केंद सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.2/93/2005-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2024

S.O. 3905(E).—Whereas, M/s. Mindspace Business Parks Private Limited (formerly M/s. K. Raheja Corporation Pvt. Ltd. and M/s. Serene Properties Pvt. Ltd.), had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for Information Technology and Information Technology Enabled Services at Pocharam Village, Hayathanagar Taluk, Ghatkesar Mandal, Ranga Reddy District, Hyderabad in the State of Telangana (erstwhile Andhra Pradesh);

AND, whereas, the Central Government, in the exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, notified an area of 26.895 hectares and de-notified area of 14.162 hectares and 7.906 hectares at the above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification Numbers S.O. 869 (E) dated 01.06.2007 and S.O. 3106 (E) dated 23.08.2019 and S.O. 4775 (E) dated 16.11.2021, respectively;

AND, WHEREAS, M/s. Mindspaace Business Parks Private Limited has now proposed to de-notify the entire area of 4.827 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. 1948/IT&C/Prom2/2006 dated 2nd August, 2024. Further, after de-notification, such de-notified area will conform to land use guidelines/master places of the State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of the entire area of 4.827 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in the exercise of the powers conferred by the first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except for things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/93/2005-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.09.12 22:57:10 +05'30'